

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10141/2025

Arun Kumar S/o Shri Leelaram, Aged About 23 Years, R/o
Pichanwasi Police Station Surajgarh District Jhunjhunu (Raj.). (At
Present Accused Confined In Jail Jhunjhunu).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10241/2025

Vijay S/o Sh. Ramesh Kumar, Aged About 33 Years, R/o Lotiya,
P.s. Surajgarh, Dist. Jhunjhunu (Raj.) (At Present Petitioner Is
Confined In Dist. Jail Jhunjhunu Dist. Jhunjhunu (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10615/2025

1. Rahul @ Baba @ Dholiya S/o
Shri Sanjay, Aged About 19
Years, R/o Gopalwas Thana
Bathda District Chakhri Dadri
Haryana Hal Loharu Road Gali
No 2 Pilani Thana Pilani District
Jhunjhunu (Rajasthan). (At
Present Accused Confined In
Jail Jhunjhunu)
2. Jale Singh S/o Shri Subhash,
Aged About 23 Years, R/o
Golwa Police Station Sultana
Hal Ojatoo Thana Chirawa
District Jhunjhunu (Rajasthan).
(At Present Accused Confined
In Jail Jhunjhunu)

----Petitioners

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13205/2025

Ankit Alias Mental S/o Shri Ishwar Singh, Aged About 19 Years,
R/o Dhatarwal Thana Mandrela District Jhunjhunu (Rajasthan)
(Accused Petitioner At Present Confined In Jail Jhunjhunu).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shyam Bihari Gautam
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, P.P. Mr. Kamendra Sihag

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

13/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त **अरुण कुमार एवं विजय** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**01.08.2025** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्तगण **राहुल उर्फ बाबा उर्फ धोलिया एवं जले सिंह** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**11.08.2025** के विरुद्ध जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं प्रार्थी/अभियुक्त **अंकित उर्फ मेन्टल** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक—**17.09.2025** के विरुद्ध यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पृथक-पृथक, उन्हें पुलिस थाना **सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**230/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 109(2)**,

324(5), 119(2), 191(2), 191(3), 61(2), 111(2), (i),(3),(4),(5), 249(ख)

भारतीय न्याय संहिता में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। ये चारों जमानत आवेदन पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्तागण प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण क्रमशः 20.07.2025, 19.07.2025 एवं 31.07.2025 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मजरुबान को ऐसी कोई चोट कारित नहीं हुई है, जो प्राणघातक रही हो। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा इन प्रकरणों के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए कथन किया कि दोनों पक्षों के मध्य हवेली का विवाद चल रहा है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपराध कारित किया गया है, अतः प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए प्रस्तुत चारों प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य एवं चिकित्सीय रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्कों, प्रकरणों की तथ्यात्मक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, प्रार्थीगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरणों के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः ये चारों जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रुपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000—25,000/—रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. अरुण कुमार पुत्र श्री लीलाराम, 2. विजय पुत्र श्री रमेश कुमार, 3. राहुल उर्फ बाबा उर्फ धोलिया पुत्र श्री संजय, 4 जले सिंह पुत्र श्री सुभाष एवं 5. अंकित उर्फ मेन्टल पुत्र श्री ईश्वर सिंह को (यदि वे अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हों तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J